



# भारत का राजपत्र

## The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 110]

नई दिल्ली, सोमवार, मार्च 28, 2016/चैत्र 8, 1938

No. 110]

NEW DELHI, MONDAY, MARCH 28, 2016/CHAITRA 8, 1938

**केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग****अधिसूचना**

नई दिल्ली, 8 मार्च, 2016

सं. 2/2(2)/2011-स्था/के.वि.वि.आ.—केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग, विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 91 के साथ पठित धारा 178 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार के अनुमोदन से केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (स्टाफ की भर्ती, नियंत्रण एवं सेवा शर्तें) विनियम, 2007 (इसके पश्चात् "मूल विनियम" में कहा गया है) का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात् :

## 1. संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ:

(i) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (स्टाफ की भर्ती, नियंत्रण एवं सेवा शर्तें) (तीसरा संशोधन) विनियम 2016 कहा जा सकता है।

(ii) ये विनियम राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

## 2. स्वीकृत संख्या से संबंधित मूल विनियमों के विनियम 5 का संशोधन:

1/4i1/2 एकीकृत वित्तीय सलाहकार के पद से नीचे निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा:

| पद                      | वेतनमान  | केन्द्रीय सरकार के अंतर्गत समतुल्य स्तर | पदों की संख्या |
|-------------------------|--|---|----------------|
| 1                       | 2  | 3                                       | 4              |
| वरिष्ठ प्रधान निजी सचिव | ₹12,000-375-18,000 (पुनरीक्षित पूर्व) (पीबी:3 में पुनरीक्षित ₹15,600-39,100 प्लस ₹7,600 का ग्रेड पे) | वरिष्ठ प्रधान निजी सचिव                 | एक             |

1/4iii1/2 प्रधान निजी सचिव के पद के लिए प्रविष्टियों को निम्नानुसार संशोधित किया जाएगा:

| पद               | वेतनमान  | केन्द्रीय सरकार के अंतर्गत समतुल्य स्तर | पदों की संख्या |
|------------------|--|---|----------------|
| 1                | 2  | 3                                       | 4              |
| प्रधान निजी सचिव | ₹10,000-325-15,200 (पुनरीक्षित पूर्व) (पे बैंड पीबी:3 वेतनमान में पुनरीक्षित ₹15,600-39,100 प्लस ₹6,600 का ग्रेड पे) | प्रधान निजी सचिव                        | तीन            |

1/4iii½ निजी सहायक के पद के नीचे निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा:

| पद                    | वेतनमान  | केन्द्रीय सरकार के अंतर्गत समतुल्य स्तर | पदों की संख्या |
|-----------------------|--|---|----------------|
| 1                     | 2  | 3                                       | 4              |
| कनिष्ठ हिन्दी अनुवादक | (पीबी:2 ₹9,300–38,400 प्लस ₹4,200/- का ग्रेड पे) | कनिष्ठ हिन्दी अनुवादक                   | एक             |

1/4iv½ आशुलिपिक के पद के नीचे निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा:

| पद                             | वेतनमान   | केन्द्रीय सरकार के अंतर्गत समतुल्य स्तर | पदों की संख्या |
|--------------------------------|---|---|----------------|
| 1                              | 2   | 3                                       | 4              |
| हिन्दी टंकक (अवर श्रेणी लिपिक) | (पीबी:1 ₹5,200–20200 प्लस ₹1,900/- का ग्रेड पे) | अवर श्रेणी लिपिक                        | एक             |

### 3- नियुक्ति के ढंग से संबंधित मूल विनियमों के विनियम 6 का संशोधन:

1/4i½ एकीकृत वित्तीय सलाहकार के पद के नीचे निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा:

| पद                      | भर्ती का ढंग  |
|-------------------------|---|
| 1                       | 2   |
| वरिष्ठ प्रधान निजी सचिव | पदोन्नति जिसके न होने पर विदेश सेवा शर्तों पर प्रतिनियुक्ति द्वारा। |

1/4ii½ निजी सहायक के पद के नीचे निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा:

| पद                    | भर्ती का ढंग  |
|-----------------------|---|
| 1                     | 2   |
| कनिष्ठ हिन्दी अनुवादक | अल्पकालिक संविदा सहित विदेश सेवा शर्तों पर प्रतिनियुक्ति द्वारा जिसके न होने पर सीधी भर्ती। |

1/4iii½ आशुलिपिक के पद के नीचे निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा:

| पद                            | नियुक्ति का ढंग |
|-------------------------------|-----------------|
| 1                             | 2               |
| हिंदी टंकक (अवर श्रेणी लिपिक) | सीधी भर्ती      |

### 4 मूल विनियमों (विदेश सेवा शर्तों/अल्पकालिक संविदा पर प्रतिनियुक्ति पर स्टाफ के लिए शैक्षणिक योग्यताएं, अनुभव और अर्हक सेवा) के परिशिष्ट-I का संशोधन

1/4i1/2 परिशिष्ट-I के क्रम संख्या 13 के पश्चात् निम्नलिखित सम्मिलित किया जाएगा:

| क्र. स. | पद                      | वेतनमान  | न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता   | अनुभव की किस्म                               | अर्हक सेवा  |
|---------|-------------------------|--|--|--|---|
| 13 (क)  | वरिष्ठ प्रधान निजी सचिव | ₹12,000-375-18,000 (पुनरीक्षित पूर्व) (पीबी:3 वेतनमान में पुनरीक्षित ₹15,600-39,100 प्लस ₹7,600 का ग्रेड पे) | कंप्यूटर परिचालन की जानकारी और एम एस ऑफिस में प्रवीण होना चाहिए। | सचिवालय स्टाफ के रूप में कार्य करने का अनुभव | <b>ऐसे अधिकारी :</b><br>(i) जिन्होंने नियमित आधार पर समरूप पद धारण किया हो।<br><b>या</b><br>(ii) जिन्होंने ₹10,000-325-15,200 के वेतनमान में 5 वर्ष की नियमित सेवा (पुनरीक्षित पूर्व) (पुनरीक्षित पे बैंड पीबी:3 ₹15,600-39,100 प्लस ₹6,600 का ग्रेड पे) या इसके समतुल्य पद धारण किया हो। |

1/4ii1/2 परिशिष्ट-I के क्रम संख्या 25 के पश्चात् निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा:

| क्र.स. | पद                   | पे बैंड एवं ग्रेड पे                         | न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता  | अनुभव की प्रकृति   | अर्हक सेवा   |
|--------|----------------------|--|---|--|--|
| 25 (क) | कनिष्ठ हिंदी अनुवादक | पीबी:2<br>₹9,300-34,800 + ₹4,200 का ग्रेड पS | (i) डिग्री स्तर पर विषय के रूप में अंग्रेजी सहित हिंदी में मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय की स्नातकोत्तर डिग्री या डिग्री स्तर पर विषय के रूप में हिंदी सहित अंग्रेजी<br><b>या</b><br>(ii) माध्यम के रूप में हिंदी सहित किसी विषय में मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर डिग्री और डिग्री स्तर पर अनिवार्य विषय के रूप में अंग्रेजी/हिंदी<br><b>या</b><br>(iii) मुख्य विषय के रूप में हिंदी, अंग्रेजी सहित या परीक्षा के माध्यम के रूप में दोनों में से कोई एक और मुख्य विषय के रूप में अन्य तथा स्नातक डिग्री एवं हिंदी से अंग्रेजी और इसके विपरीत मान्य डिप्लोमा/प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम | हिंदी में शब्दावली कार्य का दो वर्ष का अनुभव या सरकारी कार्यालयों में अंग्रेजी से हिंदी या इसके विपरीत अनुवाद कार्य। | <b>ऐसे अधिकारी:</b><br>(i) जिन्होंने नियमित आधार पर समरूप पद धारण किया हो।<br><b>या</b><br>(ii) जिन्होंने पीबी:1 ₹5,200-20,200 + ₹2,800 के ग्रेड पे में नियमित आधार पर नियुक्ति के बाद ग्रेड में 5 वर्ष की नियमित सेवा की हो या पेरेंट कैडर या विभाग में समतुल्य पदधारण किया हो।<br><b>या</b><br>(iii) जिन्होंने पीबी:1 ₹5,200-20,200 + ₹2,400 के ग्रेड पे में नियमित आधार पर नियुक्ति के बाद दिए गए ग्रेड में 6 वर्ष की नियमित सेवा की हो या समतुल्य पद धारण किया हो। |

1/4iii)½ परिशिष्ट-I के क्रम संख्या 25(क) के पश्चात् निम्नलिखित सम्मिलित किया जाएगा

| क्र.स.    | पद                             | पे बैंड एवं ग्रेड पे                               | न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता   | अनुभव की प्रकृति   | वांछनीय   |
|-----------|--------------------------------|--|--|--|---|
| 25<br>(ख) | हिन्दी टंकक (अवर श्रेणी लिपिक) | पीबी:1<br>₹5,200-20,200<br>प्लस ₹1,900 का ग्रेड पS | बारहवीं पास होनी चाहिए या विषय के रूप में या परीक्षा के माध्यम के रूप में हिंदी सहित समतुल्य होनी चाहिए। | जिसके पास 30 शब्द प्रति मिनट की गति सहित हिन्दी टंकण के लिए सरकारी मान्यता प्राप्त संस्थान का प्रमाणपत्र हो। | जिन्हें कंप्यूटर परिचालन में पर्याप्त जानकारी और 30 शब्द प्रति मिनट की गति से अंग्रेजी टाइपिंग की जानकारी हो। |

5. मूल विनियम (सीधी भर्ती के आधार पर नियुक्ति पर स्टाफ के लिए शैक्षणिक योग्यताएं, अनुभव आदि) के परिशिष्ट II का संशोधन।

(i) परिशिष्ट-II के क्रम संख्या 1 के पश्चात् निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा:

**"1(क) कनिष्ठ हिंदी अनुवादक :** 1/4i)½ जिसके पास डिग्री स्तर पर विषय के रूप में अंग्रेजी सहित हिंदी में मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय की स्नातकोत्तर डिग्री या डिग्री स्तर पर विषय के रूप में हिंदी सहित अंग्रेजी हो या 1/4ii)½ जिसके पास माध्यम के रूप में हिंदी सहित किसी विषय में मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर डिग्री एवं डिग्री स्तर पर अनिवार्य विषय के रूप में अंग्रेजी/हिंदी हो या 1/4iii)½ जिसके पास परीक्षा के माध्यम के रूप में दो में किसी किसी एक मुख्य विषय के रूप में हिंदी, अंग्रेजी सहित मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक डिग्री तथा हिंदी से अंग्रेजी एवं इसके विपरीत अनुवाद में मान्य डिप्लोमा/प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम हो। सरकारी कार्यालय में अंग्रेजी से हिंदी या इसके विपरीत अनुवाद कार्य या हिंदी में शब्दावली कार्य का दो वर्ष का अनुभव हो।

**आयु सीमा :** आवेदक की आयु 18-27 वर्ष के बीच होनी चाहिए। तथापि, नेमैतिक आयु में छूट लागू सरकारी आदेशों के अनुसार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए अनुज्ञेय होगी। (समय-समय पर केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार 35 वर्ष तक सरकारी कर्मचारियों के लिए छूट)

**टिप्पणी :** आयु सीमा निर्धारण के लिए अंतिम तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन की प्राप्ति की अंतिम तारीख होगी।"

(ii) परिशिष्ट-II के क्रम संख्या 1 के पश्चात् निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा:

**"2(क) हिंदी टंकक (अवर श्रेणी लिपिक)**

- 12वीं की परीक्षा पास होनी चाहिए या विषय के रूप में या परीक्षा के माध्यम के रूप में हिंदी सहित समतुल्य होनी चाहिए।
- 30 शब्द प्रति मिनट की गति सहित हिंदी टंकण के लिए किसी सरकारी मान्यता प्राप्त संस्थान का प्रमाण पत्र।

**कंप्यूटर पर कुशलता परीक्षा मानदंड**

हिंदी टंकण 30 शब्द प्रति मिनट की दर पर

**वांछनीय:**

- 1) कंप्यूटर परिचालन में पर्याप्त जानकारी
- 2) 30 शब्द प्रति मिनट के साथ अंग्रेजी टंकण की जानकारी

**आयु सीमा :** आवेदक की आयु 18-27 वर्ष के बीच होनी चाहिए तथापि, नेमैतिक आयु में छूट लागू सरकारी आदेशों के अनुसार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए अनुज्ञेय होगी। (समय-समय पर केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार 35 वर्ष तक सरकारी कर्मचारियों के लिए छूट)

**टिप्पणी:** आयु सीमा निर्धारित करने के लिए अंतिम तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदनों की प्राप्ति की अंतिम तारीख होगी।

6. मूल विनियमों के परिशिष्ट III से संबंधित विनियम 13 का संशोधन (पदोन्नति आधार पर नियुक्ति के लिए पात्रता मानदण्ड )

(i) परिशिष्ट III के क्र. सं. 1 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा:

| क्र. सं. | पद                      | वेतनमान  | अनुभव की प्रकृति                                  | अर्हक सेवा (आयोग में समाविष्ट होने की तिथि से)  |
|----------|-------------------------|--|---|---|
| 01       | वरिष्ठ प्रधान निजी सचिव | ₹12,000-375-18,000 संशोधित पूर्व) (पीबी:3 वेतनमान में संशोधित ₹15,600-39,100 प्लस ₹7,600 का ग्रेड पे)  | जिन्होंने सचिवालय स्टाफ के रूप में कार्य किया हो। | जिन्होंने ₹10,000-325-15,200 के वेतनमान में 5 वर्ष की नियमित सेवा की हो (पुनरीक्षित पूर्व) (पुनरीक्षित पे बैंड : 3 ₹15,600-39,100 + ₹6,600/- का ग्रेड पे) |
| 01 (क)   | प्रधान निजी सचिव        | ₹10,000-325-15,200 (संशोधित पूर्व) (पीबी:3 वेतनमान में संशोधित ₹15,600-39,100 प्लस ₹6,600 का ग्रेड पे) | जिन्होंने सचिवालय स्टाफ के रूप में कार्य किया हो। | जिन्होंने ₹6,500-200-10,500 के वेतनमान में 8 वर्ष की नियमित सेवा की हो (पुनरीक्षित पूर्व) (पुनरीक्षित पे बैंड : 2 ₹9,300-34,800 + ₹4,600/- का ग्रेड पे)   |

शुभा शर्मा, सचिव

[ विज्ञापन III/4/असा./413 ]

**टिप्पणी:** मूल विनियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-III, खंड-4, सं. 156 में 31 जुलाई 2007 को प्रकाशित किये गए थे।

## CENTRAL ELECTRICITY REGULATORY COMMISSION

### NOTIFICATION

New Delhi, the 8th March, 2016

**No. 2/2(2)/2011-Estt./CERC.**—In exercise of powers conferred under Section 178 read with Section 91 of The Electricity Act, 2003, the Central Electricity Regulatory Commission with the approval of the Central Government hereby makes the following Regulations, to amend the Central Electricity Regulatory Commission (Recruitment, Control and Service Conditions of Staff) Regulations, 2007 (here in after referred to as “the Principal Regulations”), namely:

#### 1. Short title and commencement:

(i) These Regulations shall be called as the Central Electricity Regulatory Commission (Recruitment, Control and Service Conditions of Staff) (Third Amendment) Regulations, 2016.

(ii) These Regulations shall come into effect from the date of their publication in the Official Gazette.

#### 2. Amendment of Regulation 5 of the Principal Regulations relating to the Sanctioned Strength :

(i) The following shall be inserted below the post of Integrated Financial Adviser:

| Post                               | Scale of Pay  | Equivalent Level under the Central Government | No. of posts |
|------------------------------------|---|---|--------------|
| Senior Principal Private Secretary | ₹12,000-375-18,000 (Pre-revised)<br>(Revised to Pay Band:3 ₹15,600-39,100 Plus Grade Pay of ₹7,600/-) | Senior Principal Private Secretary            | One          |

(ii) The entries against the post of Principal Private Secretary shall be amended as under :

| Post                        | Scale of Pay  | Equivalent Level under the Central Government | No. of posts |
|-----------------------------|---|---|--------------|
| Principal Private Secretary | ₹10,000-325-15,200 (Pre-revised)<br>(Revised Pay Band PB:3<br>₹15,600-39,100 with Grade Pay<br>₹ 6,600/-) | Principal Private Secretary                   | Three        |

(iii) The following shall be inserted below the post of Personal Assistant:

| Post                    | Scale of Pay                                      | Equivalent Level under the Central Government | No. of posts |
|-------------------------|---|---|--------------|
| Junior Hindi Translator | PB-2 ₹9,300-38,400 plus Grade<br>Pay of ₹4,200/-) | Junior Hindi Translator                       | One          |

(iv) The following shall be inserted below the post of Stenographer :

| Post               | Scale of Pay                                      | Equivalent Level under the Central Government | No. of posts |
|--------------------|---|---|--------------|
| Hindi Typist (LDC) | PB-1 ₹5,200-20,200 plus Grade<br>Pay of ₹1,900/-) | Lower Division Clerk                          | One          |

### 3. Amendment of Regulation 6 of the Principal Regulations relating to Mode of Appointment

(i) The following shall be inserted below the post of Integrated Financial Adviser.

| Post                               | Mode of Appointment  |
|------------------------------------|--|
| Senior Principal Private Secretary | Promotion failing which by Deputation on foreign service terms |

(ii) The following shall be inserted below the post of Personal Assistant :

| Post                    | Mode of Appointment   |
|-------------------------|---|
| Junior Hindi Translator | Deputation on foreign service terms including short term contract failing which by Direct Recruitment |

(iii) The following shall be inserted below the post of Stenographer:

| Post               | Mode of Appointment |
|--------------------|---------------------|
| Hindi Typist (LDC) | Direct Recruitment  |

### 4. Amendment of Appendix-I to the Principal Regulations (Educational Qualifications, Experience and Qualifying Service for Staff on deputation, on Foreign Services terms/ short-term contract)

(i) The following shall be inserted after Sl. No. 13 of the Appendix-I

| Sl. No | Post                               | Scale of Pay  | Minimum Educational Qualification                        | Nature of Experience         | Qualifying Service   |
|--------|------------------------------------|---|--|------------------------------|--|
| 13(A)  | Senior Principal Private Secretary | ₹12,000-375-18,000 (Pre-revised)(Revised to Pay Band : 3 of ₹ 15,600 - 39,100 with Grade Pay of ₹7,600/-) | Must be computer-literate, proficient in using MS Office | Working as Secretariat Staff | Officers under the Central Government,<br>(i) Holding analogous post on regular basis;<br><b>or</b><br>(ii) With 5 years regular service in the scale of ₹10,000-325-15,200 (Pre-revised) (Revised Pay Band : 3 ₹15,600-39,100 plus Grade Pay of ₹6,600/) <b>or</b> equivalent |

(ii) The following shall be inserted after Sl. No. 25 of the Appendix-I

| Sl.No | Post                    | Pay Band and Grade Pay                     | Minimum Educational Qualification   | Nature Experience   | Qualifying Service  |
|-------|-------------------------|--|---|---|---|
| 25(A) | Junior Hindi Translator | PB:2 ₹9,300-34,800 plus ₹4,200/- Grade Pay | (i) Master Degree from a recognized University in Hindi with English as a subject at the degree level or in English with Hindi as a subject at degree level.<br>(ii) Master Degree from a recognized in any subject with Hindi as a medium of instruction and English/Hindi as a Compulsory subject at the degree level.<br>Or<br>(iii) Bachelor's degree from a recognized university with Hindi, English as main subject or either of the two as medium of examination and other as a main subject plus recognized Diploma/ Certificate Course in Translation from Hindi to English and vice versa. | Two years experience of terminology work in Hindi or translation work from English to Hindi or vice versa in Govt. offices. | Officers:-<br>i. Holding analogous posts on regular basis:<br>or<br>ii. With five years regular service in the grade rendered thereto on regular basis in PB:1 ₹ 5,200-20,200 plus Grade Pay of ₹2,800/- or equivalent in the parent cadre or department. Or<br>iii. With six years regular service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in PB:1 ₹ 5,200-20,200 plus Grade Pay of ₹2,400/- or equivalent. |

(iii) The following shall be inserted after Sl. No. 25(A) of the Appendix-I

| Sl. No | Post               | Pay Band and Grade Pay                     | Minimum Educational Qualification   | Nature Experience  | Desirable  |
|--------|--------------------|--|---|--|--|
| 25(B)  | Hindi Typist (LDC) | PB-1 ₹5,200-20,200 plus Grade pay ₹1,900/- | Must have passed 12 <sup>th</sup> Class examination or equivalent with Hindi as subject or medium of examination. | Certificate from any Government recognized Institute for Hindi with 30 w.p.m. speed. | i) Adequate knowledge in computer operation and knowledge of English typing 30 words per minute. |

5. Amendment of Appendix-II to the Principal Regulations (Educational Qualification, Experience etc. for appointment of staff on direct recruitment basis) :

(i) After Sl. No. 1 of Appendix-II, the following shall be inserted:

“1(A) **Junior Hindi Translator** : Must hold (i) Master Degree from a recognised University in Hindi with English as a subject at the degree level or in English with Hindi as a subject at degree level, or (ii) Master Degree from a recognised university in any subject with Hindi as a medium of instruction and English / Hindi as a compulsory subject at degree level, or (iii) Bachelor’s degree from a recognised university with Hindi, English as main subject or either of the two as medium of examination and other as a main subject plus recognised Diploma / Certificate Course in Translation from Hindi to English and vice versa. Must have two years experience of terminology work in Hindi or Translation work from English to Hindi or vice versa in Government offices.

**Age Limits:** The age of the applicant should be between 18 to 27 years. However, usual age relaxation will be admissible to SC/ST/OBC etc. as per Government Orders in force. (Relaxable for Government servants up to 35 years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government from time to time).

**Note:** The crucial date for determining the age limit shall be the closing date of the receipt of applications from candidates in India.”

(i) After Sl. No. 1 of Appendix-II, the following shall be inserted:

“2(A) **Hindi Typist (LDC)** :

- 1) Must have passed 12<sup>th</sup> Class examination or equivalent with Hindi as a subject or medium of examination.
- 2) Certificate from any Government recognised Institute for Hindi typing with 30 w.p.m. speed.

**Skill Test norms on Computer:**

Hindi typing @ 30 w.p.m.

**Desirable:**

- 1) Adequate knowledge in computer operations
- 2) Knowledge of English typing with 30 works per minute.

**Age Limits:** The age of the applicant should be between 18 to 27 years. However, usual age relaxation will be admissible to SC/ST/OBC etc. as per Government Orders in force. (Relaxable for Government servants upto 35 years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government from time to time).

**Note:** The crucial date for determining the age limit shall be the closing date of the receipt of applications from candidates in India.”

6. Amendment of Regulation 13 relating to Appendix-III to the Principal Regulations (Eligibility criteria for appointment on promotion basis)



(i) Sl. No. 01 of Appendix-III shall be replaced as under :

| Sl. No. | Post                               | Scale of Pay   | Nature of Experience         | Qualifying Service (from the date of absorption in the Commission)  |
|---------|------------------------------------|--|------------------------------|---|
| 01      | Senior Principal Private Secretary | ₹12,000-375-18,000 (Pre-revised)(Revised to Pay Band : 3<br>₹ 15,600 - 39,100 plus Grade Pay of ₹7,600/-)  | Working as Secretariat Staff | With five years regular service in the scale of ₹10,000-325-15,200 (Pre-revised) (Revised Pay Band : 3 ₹ 15,600-39,100 plus Grade Pay of ₹ 6,600/-) |
| 01(A)   | Principal Private Secretary        | ₹10,000-325-15,200 (Pre-revised) (Revised to Pay Band : 3<br>₹ 15,600 - 39,100 plus Grade Pay of ₹6,600/-) | Working as Secretariat Staff | With eight years regular service in the scale of ₹6,500-200-10,500 (Pre-revised) (Revised Pay Band : 2 ₹ 9,300-34,800 plus Grade Pay of ₹ 4,600/-)  |

SHUBHA SARMA, Secy.

[ADVT III/4/Exty./413]

**Note :** Principal Regulations were published on 31st July, 2007 in the Gazette of India, Extraordinary, Part-III, Section-4, No. 156.